एसबी आदेश सं. 13/2023

सं. एफएस-13/1/2023-एफएस-डीओपी
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001
दिनांक : 31.05.2023 / 20.11.2023

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : महिला सम्मान बचत पत्र (एमएसएससी) के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू होने के संबंध में।

महिला सम्मान बचत पत्र (एमएसएससी) योजना वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2023 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 2189(अ) के तहत अधिसूचित ऐसी योजना है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194 ए के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाती है। अधिसूचना की एक प्रति इस एसबी ऑर्डर के साथ संलग्न है।

2. तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अर्जित ब्याज आय पर धारा 194 ए के तहत टीडीएस कटौती ("प्रतिभूतियों पर ब्याज" से इतर ब्याज पर कर कटौती) लागू है।

(i). वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

(ii). महिला सम्मान बचत पत्र (एमएसएससी)

3. अतः यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान एससीएसएस और एमएसएससी योजनाओं के संबंध में अदाता के खाते में जमा या उसे भुगतान किए गए ब्याज की कुल राशि निम्नलिखित निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।

भुगतानकर्ता श्रेणी	अधिकतम सीमा (रू. में)
वरिष्ठ नागरिक (भारत का वह व्यक्ति-विशेष निवासी, जो विगत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का रहा हो।)	50,000/-
अन्य	40,000/-

4. इसे सूचनार्थ एवं आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सभी डाकघरों में परिचालित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति : अंग्रेजी पाठ के अनुसार

एसबी आदेश सं. 14/2023

फा. सं. एफएस-14/3/2021- एफएस-डीओपी
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक- 16.06.2023 / 07.12.2023

सेवा में,
सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : AAR बुक, ASLAAS5 कार्ड और डाकघर बचत बैंक चेक बुक के मुद्रण और उनकी आपूर्ति के संबंध में।

यह पत्र, एसबी आदेश संख्या 06/2022 के संबंध में जारी दिनांक 20.06.2022 के अनुशेष के संदर्भ में है, जिसके तहत AAR बुक, ASLAAS-5 कार्ड और डाकघर बचत बैंक चेक बुक के मुद्रण और उनकी आपूर्ति के संबंध में मानक लेखांकन प्रक्रिया (एसएपी) परिचालित की गयी थी।

2. इस संबंध में, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 18.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/5/2022-एनएस के तहत व्यय संबंधी मदों के लिए 15 अंकीय 'जीएल लेखा कोड' सूचित किया था। तदनुसार, एसएपी को संशोधित किया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति सहित संशोधित एसएपी संलग्न की गयी है।

3. एसबी आदेश संख्या 06/2022 के अनुशेष के अंतर्गत जारी किए गए अन्य अनुदेश मान्य रहेंगे।

4. सर्कलों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि व्यय को सही जीएल कोड के तहत दर्ज किया जाए।

5. इसे, सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी कार्यालयों में परिचालित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(टी सी विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

संलग्न- यथोपरि

<u>प्रतिलिपि:</u> -
अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार

(टी सी विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

एसबी आदेश सं. 15/2023

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट-1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 30.06.2023 / 01.09.2023

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : 01.07.2023 से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया / महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 01/04/2019-एनएस दिनांक 30.06.2023 (प्रति संलग्न) के तहत, यह सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही **(01जुलाई, 2023 से आरंभ होकर 30 सितमबर, 2023 को समाप्त होने वाली) के लिए** विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) की ब्याज दरों **में किया गया संशोधन निम्नानुसार है :-**

क्र. सं.	**लिखत/योजना**	**01.04.2023 से 30.06.2023 तक ब्याज दर**	**01.07.2023 से 30.09.2023 तक ब्याज दर**
1.	डाकघर बचत खाता	4.0	4.0
2.	1 वर्षीय सावधि जमा	6.8	**6.9**
3.	2 वर्षीय सावधि जमा	6.9	**7.0**
4.	3 वर्षीय सावधि जमा	7.0	7.0
5.	5 वर्षीय सावधि जमा	7.5	7.5
6.	5 वर्षीय आवर्ती जमा	6.2	**6.5**
7.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	8.2	8.2
8.	मासिक आय खाता योजना	7.4	7.4
9.	राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	7.7	7.7
10.	लोक भविष्य निधि योजना	7.1	7.1
11.	किसान विकास पत्र	7.5 (115 माह में परिपक्व होगा)	7.5 (115 माह में परिपक्व होगा)
12.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना	8.0	8.0

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। संगत गणना तालिकाएं, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने पर, यथासमय उपलब्ध करा दी जाएंगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका भवदीय

देवेन्द्र शर्मा

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 15/2023

फा. सं. 113-03/2017-एसबी(पार्ट-1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 30.08.2023 / 01.09.2023

<u>अनुशेष</u>

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : 01.07.2023 से लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त उल्लिखित विषय पर दिनांक 30.06.2023 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को, आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में संशोधन के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित किए जाने का निर्देश हुआ है। दिनांक 23.08.2023 की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(i). सा.का.नि. 620(अ) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तृतीय संशोधन) स्कीम, 2023

(ii). सा.का.नि. 621(अ) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 2023

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

<u>संलग्न</u> : उपरोक्तानुसार।

(टी सी विजयन)

सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

(टी सी विजयन)

सहायक निदेशक (एसबी-I)

एसबी आदेश सं. 17/2023

सं. एफएस-10/27/2021-एफएस-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 24.08.2023

31.08.2023

सेवा में,

सभी सर्कल/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय :- राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के लिए ब्याज प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

यह देखा गया है कि वार्षिक अर्जित ब्याज के आधार पर डाकघर द्वारा ब्याज प्रमाण-पत्र जारी न करने के संबंध में इस कार्यालय को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2. एनएससी स्कीम 2019 के नियम 5(3) के अनुसार, "खाताधारक द्वारा मांग किए जाने पर वार्षिक अर्जित ब्याज का प्रमाण-पत्र लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"

3. वर्तमान में डाकघरों द्वारा फिनेकल से ब्याज प्रमाण-पत्र जनरेट करके जारी किए जाते हैं। तथापि, फिनेकल में वार्षिक अर्जित ब्याज पर ब्याज प्रमाण-पत्र जनरेट करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए एनएससी के संबंध में उक्त प्रमाण-पत्र जमाकर्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर मैनुअली तैयार करके जारी किए जाते हैं। डाकघर द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक अर्जित ब्याज का प्रमाण-पत्र प्रपत्र, इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

4. वार्षिक अर्जित ब्याज संबंधी तालिका भारतीय डाक की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा डाकघरों द्वारा, एनएससी के संबंध में वार्षिक अर्जित ब्याज की गणना के लिए इसका संदर्भ लिया जाना चाहिए।

5. इसलिए जब तक फिनेकल में वार्षिक ब्याज प्रमाण-पत्र जनरेट करने का प्रावधान नहीं हो जाता है, डाकघरों द्वारा इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में ब्याज प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

6. इसे, सभी संबंधित डाकघरों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाए।

7. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

<u>संलग्न :- यथोक्त</u>

प्रतिलिपि :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

डाक विभाग, भारत

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी) के संबंध में वार्षिक उपार्जित ब्याज का प्रमाण-पत्र

जिस किसी से संबंधित हो

प्रमाणित किया जाता है कि इस डाकघर में श्री/श्रीमती ---------------------------------- के नाम से जारी निम्नलिखित राष्ट्रीय बचत प्रमाण (VIII इश्यू और IX इश्यू) पर वर्ष ---------------- के लिए ब्याज के रूप में ---------------------- की राशि उपार्जित हुई है।

क्र. सं.	बचत प्रमाण-पत्र/ एनएससी खाता संख्या	जारी करने की दिनांक/खाता खोलने की दिनांक	जमा राशि (रुपए में)	उपार्जित ब्याज (रुपए में)
	योग			

पोस्टमास्टर/उप पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

डाकघर की मोहर, दिनांक सहित

<u>एसबी आदेश सं. 18/2023</u>

सं. सीबीएस-25/96/2021-एफएस-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13.09.2023 / 07.12.2023

सेवा में,

सभी सर्कलों / क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: फिनेकल सीबीएस में माइग्रेट न किए गए खातों/ बचतपत्रों की हैंडलिंग/ भुगतान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय / महोदया,

फिनेकल सीबीएस में माइग्रेट किए जाने के दौरान विभिन्न कारणों से छूट गए पीओएसबी खातों और बचतपत्रों के लिए भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में इस कार्यालय में विभिन्न पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. सितंबर 2019 में लागू किए गए सीबीएस और सीएसआई जीएल इंटीग्रेशन के बाद वैसे तो पीओएसबी लेनदेन के लेखांकन के लिए सीएसआई के एफ एंड ए मॉड्यूल में कोई मैनुअल वाउचर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। तथापि, पीओएसबी से संबंधित ऐसे लेन-देन जिन्हें किसी कारणवश फिनेकल सीबीएस के माध्यम से हैंडल नहीं किया जा रहा, का लेखांकन करने के लिए सीएसआई के एफ एंड ए मॉड्यूल में वाउचर पोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है।

3. माइग्रेट न किए गए ऐसे पीओएसबी खातों और बचतपत्रों की हैंडलिंग और भुगतान को सुव्यवस्थित करने तथा पीओएसबी प्राप्तियों एवं भुगतानों के संबंध में सीएसआई के एफ एंड ए मॉड्यूल में वाउचर पोस्टिंग को समाप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि माइग्रेट न किए गए ऐसे सभी खाते/खातों और बचतपत्र/बचतपत्रों का भुगतान फिनेकल में ही किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, सभी पीओएसबी लेन-देनों का फिनेकल में उचित लेखांकन होगा और इससे जांच तंत्र सुदृढ़ बनेगा। यह ग्राहकों को होने वाली असुविधा को भी कम करेगा।

4. तदनुसार, फिनेकल में माइग्रेट न किए गए ऐसे सभी खाते/खातों और बचतपत्र/बचतपत्रों को हैंडल करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और इसे सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न किया गया है।

5. सभी सर्कल यह सुनिश्चित करें कि **डाकघरों द्वारा सीएसआई के एफ एंड ए मॉड्यूल में पीओएसबी भुगतान लेन-देन के संबंध में मैनुअल वाउचर पोस्टिंग सीधे न की जाए।**

6. अनुरोध किया जाता है कि इसे सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को परिचालित किया जाए।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: यथोक्त

भवदीय,

(टी सी विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रतिलिपि: -
अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार

(टी सी विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

<u>एसबी आदेश सं. 19 / 2023</u>

सं. 113-03/2017-एसबी(पार्ट.1)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001
दिनांक : 10.11.2023 / 29.11.2023

<u>अनुशेष</u>

सेवा में,

सभी सर्कलों / क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: 01.10.2023 से लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन।

***

महोदया / महोदय,

ऊपर उल्लिखित विषय पर दिनांक 29.09.2023 के इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही हेतु ब्याज दरों में संशोधन के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना 'सा.का.नि. 818(अ): राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023' की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

<u>संलग्न</u>: यथोक्त।

(देवेंद्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

<u>प्रतिलिपि:</u> -

अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार

(देवेंद्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

एस.बी. आदेश सं. 21/2023

सं. एफएस-पीओएसबी/1/2023-एफएस-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ.एस. डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 03.11.2023 / 29.11.2023

सेवा में,

सभी सर्कलों / क्षेत्रों के प्रमुख

विषय :- आरडी एजेंट पोर्टल में वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से पासवर्ड रिसेट की सुविधा और एमपीकेबीवाई एजेंटों एवं पीआरएसजी लीडर्स के मोबाइल नंबर की अनिवार्य आवश्यकता को लागू करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

वर्तमान में, यदि एजेंट पोर्टल का प्रयोग करने वाला कोई एजेंट पासवर्ड भूल जाता है या पांच बार गलत पासवर्ड की प्रविष्टि करता है या यदि कोई एजेंट 90 दिन से अधिक समय तक एजेंट पोर्टल में लॉग-इन नहीं करता है, तो उसकी आईडी लॉक हो जाती है और ऐसी स्थिति में उक्त एजेंट को संबद्ध (लिंक्ड) डाकघर में नए पासवर्ड के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना पड़ता है। तब इस अनुरोध को सर्कल सीपीसी के माध्यम से सीईपीटी-सीबीएस ईओडी टीम को भेजा जाता है। पासवर्ड को रिसेट करने के बाद, ईओडी टीम संबंधित सीपीसी को पासवर्ड भेजती है, जो उसे आगे एजेंट को भेजता है। इस लंबी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पासवर्ड की प्राप्ति में विलंब होता है।

2. उक्त प्रक्रिया में विलंब को दूर करने और एजेंट को डाकघर पर निर्भर रहे बिना अपना पासवर्ड, स्वयं रिसेट करने में समर्थ बनाने के लिए, ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया 03.11.2023 से फिनेकल में लागू की गई है। तदनुसार, आरडी डिपॉजिट क्रेडिट करने के लिए डीओपी एजेंट पोर्टल का प्रयोग कर रहे सभी एमपीकेबीवाई एजेंट तथा पीआरएसजी (पेरोल सेविंग ग्रुप) लीडर्स, डीओपी एजेंट पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए 'फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन' विकल्प का प्रयोग कर अपना लॉग-इन पासवर्ड स्वयं रिसेट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें उस डाकघर में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे वे संबद्ध अथवा प्राधिकृत हैं।

...2...

3. एजेंट उक्त सुविधा का लाभ तभी उठा सकते हैं, यदि उनका मोबाइल नंबर 'एजेंट प्रोफाइल' में उपलब्ध हो। इसलिए, नए एजेंट बनाते समय, मोबाइल नंबर को कैप्चर करना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा एजेंटों के संबंध में, 'एजेंट प्रोफाइल' में कमीशन क्रेडिट अकांउट के साथ लिंक मोबाइल नंबर को एकबारगी उपाय के रूप में अद्यतन किया गया है।

4. लागू प्रक्रिया के अनुसार, ओटीपी एजेंट प्रोफाइल में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यदि कोई एजेंट मोबाइल नंबर में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह संबंधित डाकघर से संपर्क कर उसे 'एजेंट प्रोफाइल विवरण' (एचडीएसएएमएम मेन्यू के माध्यम से) में अद्यतन करा सकता है। यदि ओटीपी 180 सैकण्ड के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो निर्धारित अवधि समाप्त होने पर रिजनरेट ओटीपी बटन स्वत: ही एनेबल हो जाएगा।

5. ऐसे नए एजेंट के मामले में, जिनकी एजेंट आईडी ईबी एडमिन पोर्टल में बनाई गई है और पासवर्ड पहली बार सेट किया गया है, डिफॉल्ट पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से एजेंट को भेजा जाएगा। यह पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट करने के लिए आवश्यक है।

6. अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित को उक्त डिजिटल प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में संसूचित करें और डाकघर/सीपीसी/सीईपीटी के माध्यम से एजेंट लॉग-इन पासवर्ड को रिसेट करने की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रति - अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

<u>एसबी आदेश सं. 22/2023</u>

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट.1)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 14.11.2023 / 07.12.2023

सेवा में,
सभी सर्कलों / क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2023, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 और लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 में संशोधनों के प्रचार के संबंध में।

महोदया / महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को, राष्ट्रीय (लघु) बचत योजनाओं से संबंधित नियमों में संशोधन के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 (दिनांक 09.11.2023 को 22:46 बजे प्रकाशित) को जारी राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(i). **सा.का.नि.829(अ)** - वरिष्ठ नागरिक बचत (चौथा संशोधन) स्कीम, 2023.
(ii). **सा.का.नि.830(अ) -** राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 2023.
(iii). **सा.का.नि.831(अ) -** लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2023.

2. उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं:

(I). वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 में संशोधन

(क). **<u>वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 में जोड़े गए नए नियम</u>**

क्र. सं.	***नियम सं. जिसके बाद नया प्रावधान जोड़ा गया है***	***नया प्रावधान***
1.	नियम 6 (1), खंड (iii)	(iv) उप पैरा (2) में यथा उल्लिखित विस्तारण तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व खाता बंद किया जाता है, तो निक्षेप के एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगी और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा।

(ख). **वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 में संशोधित नियम**

क्र.सं.	नियम सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	नियम 3 (1) खंड (ii) और परंतुक	जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किन्तु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा, सेवानिवृत्त हो गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि ऐसे व्यष्टि द्वारा सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर खाता खुलवाया गया है और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदा/फायदे के संवितरण का सबूत, जिसके साथ नियोजक से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के ब्यौरे उपदर्शित हो, धारित नियोजन और नियोजक के साथ ऐसे नियोजन की अवधि, आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न है : परंतु रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के सिवाय) के सेवानिवृत्त कार्मिक अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए पात्र होंगे।	जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किन्तु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा, सेवानिवृत्त हो गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि **ऐसे व्यष्टि द्वारा सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्ति की तारीख के तीन मास के भीतर** खाता खुलवाया गया है और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदे के संवितरण का सबूत, जिसके साथ नियोजक से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के ब्यौरे उपदर्शित हो, किसी **ऐसे पात्र सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति फायदे या अनुज्ञेय वित्तीय सहायता, जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु हुई है**, धारित नियोजन और नियोजक के साथ ऐसे नियोजन की अवधि, आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न है : परंतु रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के सिवाय) के सेवानिवृत्त कार्मिक अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए पात्र होंगे। **परंतु यह और कि इस स्कीम के अधीन सरकारी कर्मचारी के पति-पत्नी को अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने के अध्यधीन खाता खोलने की अनुज्ञा होगी, यदि सरकारी कर्मचारी, जो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु हो गई है।** **स्पष्टीकरण:- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित, सेवानिवृत्ति फायदा या मृत्यु प्रतिकर के पात्र होंगे।"**

2.	नियम 4 के अंतर्गत **स्पष्टीकरण**	इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदे" से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के कारण खाता धारक को शोध्य कोई संदाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत शोध्य भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का संराशित मूल्य, छुट्टी के समतुल्य नकद, जीवन बीमा स्कीम से सहबद्ध समूह की बचत, जो नियोजक को सेवानिवृत्ति पर संदेय है, कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति-सह-आहरण फायदा और किसी स्वैच्छिक या किसी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह राशि संदाय।"	इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदे" से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के कारण खाता धारक को शोध्य कोई संदाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत शोध्य भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता **या मृत्यु** उपदान, पेंशन का संराशित मूल्य, छुट्टी के समतुल्य नकद, जीवन बीमा स्कीम से सहबद्ध समूह की बचत, जो नियोजक को सेवानिवृत्ति पर संदेय है, कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति-सह-आहरण फायदा और किसी स्वैच्छिक या किसी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह राशि संदाय और **यदि कर्मचारी की कार्य के दौरान मृत्यु हुई है तो "सेवानिवृत्ति फायदों" से ऐसे कर्मचारी को उपरोक्त उल्लिखित फायदें भी अभिप्रेत हैं, जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु हुई है।"**
3.	नियम 5 (7)	पैरा 8 के उप पैरा (1) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् विस्तारित खाता की दशा में, ऐसे खाते में निक्षेप परिपक्वता की तारीख को, स्कीम को लागू दर पर ब्याज अर्जित होगा।	पैरा 8 के उप पैरा (1) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् विस्तारित खाता की दशा में, ऐसे खाते में निक्षेप परिपक्वता की तारीख **या विस्तारित परिपक्वता की तारीख को**, स्कीम को लागू दर पर ब्याज अर्जित होगा।
4.	नियम 7 (1)	खाता खोलते समय किए निक्षेप का संदाय, खाता खुलवाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति या आठ वर्ष की समाप्ति को किया जाएगा, जहां प्रारूप-3 में किए गए आवेदन पर खाता खोलने की तारीख से पैरा 8 के अधीन खाते का विस्तार किया गया था :	खाता खोलते समय किए निक्षेप का संदाय, खाता खुलवाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति को **या प्रत्येक तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि की समाप्ति के पश्चात्** किया जाएगा, जहां प्रारूप-3 में किए गए आवेदन पर खाता खोलने की तारीख से पैरा 8 के अधीन खाते का विस्तार किया गया था : परंतु यह कि विद्यमान खाता या खातों को बंद करने के पश्चात्, पैरा 4 के उप पैरा (1) में यथा उल्लिखित अधिकतम निक्षेप सीमा की शर्त के अधीन रहते हुए निक्षेपकर्ता द्वारा यथापेक्षित पुन: नया खाता या खाते खोले जा सकेंगे।

5.	दूसरा परंतुक नियम 7 (2)	परंतु यह और कि संयुक्त खाते की दशा में या जहां पति-पत्नी एकल नामनिर्देशिती हैं, वहां इस स्कीम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर खाते को पति-पत्नी द्वारा जारी रखा जा सकेगा यदि खाता धारक की मृत्यु की तारीख को स्कीम के अधीन पात्रता शर्तों को पति-पत्नी पूरी करता हो।	परंतु यह और कि संयुक्त खाते की दशा में या जहां पति-पत्नी एकल नामनिर्देशिती हैं, वहां इस स्कीम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर **लेखा कार्यालय को आवेदन द्वारा** खाते को पति-पत्नी द्वारा जारी रखा जा सकेगा यदि खाता धारक की मृत्यु की तारीख को स्कीम के अधीन पात्रता शर्तों को पति-पत्नी पूरी करता हो।
6.	नियम 8 (1)	खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रारूप-4 में कोई आवेदन करके तीन वर्ष की और अवधि के लिए खाते का विस्तार करा सकेगा।	खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर **या तीन वर्ष की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के अंत से**, प्रारूप-4 में कोई आवेदन करके **तीन वर्ष की और ब्लॉक अवधि के लिए** खाते का विस्तार करा सकेगा।
7.	नियम 8 (2)	उपपैरा (1) के अधीन खाते का विस्तार, आवेदन की तारीख पर विचार किए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा।	उपपैरा (1) के अधीन खाते का विस्तार, आवेदन की तारीख पर विचार किए बिना परिपक्वता की तारीख से **या तीन वर्ष की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के अंत से**, किया गया समझा जाएगा।
8.	नियम 8 (3)	उपपैरा (1) के अधीन खाते का विस्तार केवल एक बार उपलब्ध होगा।	उपपैरा (1) के अधीन खाते का विस्तार **तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि में** उपलब्ध होगा।

(II). राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 में संशोधन

क्र.सं.	*नियम सं.*	*मौजूदा प्रावधान*	*संशोधित प्रावधान*
1.	नियम 8	**परिपक्वता पूर्व खाता बंद करना** - निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्ररूप-4 में खाता धारक द्वारा आवेदन पर खाता को परिपक्वता पूर्व बंद किया जाना अनुज्ञात होगा, अर्थात् :- (क) जमा करने की तारीख से छह मास के अवसान से पूर्व कोई जमा आहरित नहीं की जाएगी; (ख) जहां एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय या पांच वर्षीय खाते में जमा, परिपक्वतापूर्व छह मास के पश्चात् किन्तु जमा करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व आहरित की जाती है, तो खाता धारक को पूरे किए गए मासों के लिए डाकघर बचत खाता	**परिपक्वता पूर्व खाता बंद करना** - निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रारूप-4 में खाता धारक द्वारा आवेदन पर खाता को परिपक्वता पूर्व बंद किया जाना अनुज्ञात होगा, अर्थात् :- (क) जमा करने की तारीख से छह मास के अवसान से पूर्व कोई जमा आहरित नहीं की जाएगी; (ख) जहां **एक वर्षीय, दो वर्षीय या तीन वर्षीय खाते में** जमा, परिपक्वतापूर्व छह मास के पश्चात् किन्तु जमा करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व आहरित की जाती है, तो खाता धारक को पूरे किए गए मासों के

		पर लागू दर से ब्याज देय होगा; (ग) जहां **दो वर्षीय, तीन वर्षीय या पांच वर्षीय खाते में** जमा परिपक्वतापूर्व जमा करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आहरित की जाती है, वहां खाता धारक को ब्याज, जमा करने की तारीख पर आरंभ करके आहरण की तारीख को समाप्त होकर पूरे किए गए वर्षों तथा मासों के लिए देय होगा और इस पर ब्याज उस दर पर परिकलित होगा जो, यथास्थिति, एक वर्षीय या दो वर्षीय जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर की तुलना में दो प्रतिशत कम होगा और पूरा किए गए वर्ष के लिए ब्याज, पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि आधार पर परिकलित होगा तथा वर्ष के किसी एक भाग के लिए ब्याज, उपपैरा (ख) के उपबंधों के आधार पर देय होगा: परंतु कि यदि पांच वर्षीय सावधि जमा खाता, खाता खोलने की तारीख से चार वर्ष के पश्चात बंद कर दिया जाता है, तो इस पैरा के अधीन ब्याज के परिकलन हेतु तीन वर्षीय सावधि जमा खाता के लिए अनुज्ञेय दर लागू होगी; (घ) पैरा 7 के अधीन जमा पर पहले ही संदत्त कोई ब्याज, इस पैरा के अधीन प्रतिदेय जमा रकम और देय ब्याज से वसूल किया जाएगा।	लिए डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज देय होगा; (ग) जहां **दो वर्षीय या तीन वर्षीय खाते में** जमा परिपक्वतापूर्व जमा करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आहरित की जाती है, वहां खाता धारक को ब्याज, जमा करने की तारीख पर आरंभ करके आहरण की तारीख को समाप्त होकर पूरे किए गए वर्षों तथा मासों के लिए देय होगा और इस पर ब्याज उस दर पर परिकलित होगा जो, यथास्थिति, एक वर्षीय या दो वर्षीय जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर की तुलना में दो प्रतिशत कम होगा और पूरा किए गए वर्ष के लिए ब्याज, पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि आधार पर परिकलित होगा तथा वर्ष के किसी एक भाग के लिए ब्याज, उपपैरा (ख) के उपबंधों के आधार पर देय होगा ; **(घ) जहां पांच वर्षीय जमा खाता, खाता खोलने की तारीख से चार वर्ष के पश्चात् बंद कर दिया जाता है, तो डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज देय होगा; और** (ङ) पैरा 7 के अधीन जमा पर पहले ही संदत्त कोई ब्याज, इस पैरा के अधीन प्रतिदेय जमा रकम और देय ब्याज से वसूल किया जाएगा।"

(III). लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 में संशोधन

क्र.सं.	*नियम सं.*	*मौजूदा प्रावधान*	*संशोधित प्रावधान*
1.	दूसरे परंतुक में नियम 13	परंतु यह और कि ऐसे समयपूर्व बंदी पर, खाता का ब्याज ऐसे दर पर अनुज्ञात की जाएगी, जो उस दर से एक प्रतिशत के कम होगा, जो खाते के खोलने की तारीख से या	परंतु यह और कि ऐसे समयपूर्व बंदी पर, खाता का ब्याज ऐसे दर पर अनुज्ञात की जाएगी, जो उस दर से एक प्रतिशत के कम होगा, जो खाते के खोलने की तारीख

		खाते के विस्तार की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर खाते में प्रत्यय हुई है।	से या **चालू पांच वर्षीय ब्लॉक अवधि के प्रारंभ की तारीख से**, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर खाते में प्रत्यय हुई है।

4. स्कीम की विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं।

स्कीम	**विशेषताएं**
वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम	1. प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदे के माध्यम से निवेश, सेवानिवृत्ति फायदे की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकता है। 2. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पति- पत्नी को अन्य शर्तों के पूर्ण होने के अध्यधीन, आयु पर विचार किए बिना, स्कीम में निवेश करने की अनुज्ञा होगी, यदि सरकारी कर्मचारी, जो पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु हो गई है। 3. जमाकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में, कितनी भी बार, तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए खाते का विस्तार किया जा सकता है। 4. विस्तारित खाते को परिपक्वतापूर्व, एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व बंद किए जाने पर जमा राशि पर 1% की कटौती की जाएगी।
सावधि जमा	5-वर्षीय के सावधि जमा खाते को, जमा करने की तारीख से चार वर्ष पूरे होने तक परिपक्वतापूर्व बंद नहीं किया जा सकता। यदि 5-वर्षीय सावधि जमा खाते को चार वर्ष के पश्चात अर्थात् परिपक्वतापूर्व बंद किया जाता है, तो डाकघर बचत खाता स्कीम पर लागू ब्याज दर पर ब्याज देय होगा।

4. फिनेकल में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं और तब तक, डाकघर सभी मामलों को बिना किसी उल्लंघन के प्रक्रियात्मक रूप से हैंडल करते हुए उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. इसे सूचनार्थ, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को परिचालित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: यथोक्त

भवदीय,

(टी.सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रतिलिपि: - **अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार।**

(टी.सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

<u>**एसबी आदेश सं. 22/2023**</u>

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट.1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29.11.2023 / 21.12.2023

<u>**शुद्धि पत्र / स्पष्टीकरण**</u>

सेवा में,

सभी सर्कलों / क्षेत्रों के प्रमुख

विषय :- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2023, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 और लोक भविष्य निधि योजना, 2019 में संशोधनों को परिचालित किए जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

यह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2023, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 और सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 2019 में संशोधनों के संबंध में जारी किए गए दिनांक 14.11.2023 के एसबी आदेश सं. 22/2023 के संदर्भ में है।

<u>**शुद्धिपत्र**</u>

उपरोक्त आदेश में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में पैरा 4 की सारणी के बिंदु सं. (2) में, **'55 वर्ष' को '50 वर्ष' पढ़ा जाए।**

<u>**स्पष्टीकरण**</u>

इस कार्यालय को इस संबंध में अनेक पत्र प्राप्त हो रहे थे कि दिनांक 07.11.2023 की अधिसूचना जीएसआर.830 (अ.) जारी किए जाने से पहले खोले गए 05-वर्षीय टीडी खातों को परिपक्वता अवधि से पूर्व बंद किए जाने पर उक्त टीडी खातों पर संशोधित नियम लागू होंगे या नहीं।

2. अत: इन संशोधित नियमों को लागू किए जाने के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग (डीइए), वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया था। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 28.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/04/2023 - एनएस (पार्ट) में स्पष्ट किया कि एससीएसएस और पीपीएफ से संबंधित संशोधन मौजूदा खाताधारकों और नए खाताधारकों दोनों पर लागू होंगे, जबकि राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना से संबंधित संशोधन केवल नए खाताधारकों पर लागू होंगे।

...2...

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मौजूदा एससीएसएस खातों को दिनांक 07.11.2023 की अधिसूचना जीएसआर 829 (अ.) के तहत जारी किए गए संशोधन में किए गए प्रावधानों के अनुसार विस्तारित किए जा सकते हैं और दिनांक 10.11.2023 से पूर्व खोले गए 5-वर्षीय टीडी खातों को, वे नियम जिनके तहत उन्हें खोला गया है, के अनुसार, छः माह के बाद परिपक्वता-पूर्व बंद किया जा सकता है। तथापि, दिनांक 10.11.2023 को अथवा उसके पश्चात खोले गए 5-वर्षीय टीडी खातों को दिनांक 07.11.2023 की अधिसूचना जीएसआर 830 (अ.) के तहत जारी किए गए संशोधनों के अनुसार परिपक्वता-पूर्व बंद किया जा सकता है।

4. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2023-एनएस (पार्ट) की प्रति यहां इसके साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

5. अनुरोध है कि कृपया इसे सभी संबंधितों को सूचनार्थ मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

(टी.सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रतिलिपि: - **अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार।**

(टी.सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

एसबी आदेश सं. 23/2023

फा. सं. 113-03/2017-एसबी (पार्ट-1)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(वित्तीय सेवाएं डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29.12.2023

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : 01.01.2024 से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया / महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2019-एनएस दिनांक 29.12.2023 (प्रति संलग्न) के तहत, यह सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही **(01 जनवरी, 2024 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली) के लिए** विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) की ब्याज दरों **में किया गया संशोधन निम्नानुसार है :-**

क्र. सं.	**लिखत/योजना**	**01.10.2023 से 31.12.2023 तक ब्याज दर**	**01.01.2024 से 31.03.2024 तक ब्याज दर**
1.	डाकघर बचत खाता	4.0	4.0
2.	1 वर्षीय सावधि जमा	6.9	6.9
3.	2 वर्षीय सावधि जमा	7.0	7.0
4.	**3 वर्षीय सावधि जमा**	**7.0**	**7.1**
5.	5 वर्षीय सावधि जमा	7.5	7.5
6.	5 वर्षीय आवर्ती जमा	6.7	6.7
7.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	8.2	8.2
8.	मासिक आय खाता योजना	7.4	7.4
9.	**सुकन्या समृद्धि खाता योजना**	**8.0**	**8.2**
10.	लोक भविष्य निधि योजना	7.1	7.1
11.	राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	7.7	7.7
12.	किसान विकास पत्र	7.5 (115 माह में परिपक्व होगा)	7.5 (115 माह में परिपक्व होगा)

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक मार्गदर्शन हेतु प्रसारित किया जाए। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। संगत गणना तालिकाएं, यदि कोई हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने पर, यथासमय उपलब्ध करा दी जाएंगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)